



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-16092026-276237
CG-DL-W-16092026-276237

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 13] नई दिल्ली, अगस्त 30—सितम्बर 5, 2026, शनिवार/ भाद्र 8—भाद्र 14, 1948
No. 13] NEW DELHI, AUGUST 30—SEPTEMBER 5, 2026, SATURDAY/ BHADRA 8—BHADRA 14, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केंद्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग
आदेश

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2026

आ.अ. 105.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 464/भा0नि0आ0/हरि0-वि0स0/2024 के अनुसरण में हरियाणा राज्य के 78-सोहना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के 78-सोहना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, गुरुग्राम की रिपोर्ट दिनांक 11.11.2024, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री अताउल्लाह खान जो 78-सोहना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा पेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गुरुग्राम की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री अताउल्लाह खान को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं.76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1, दिनांक: 30 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री अताउल्लाह खान को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, गुरुग्राम को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गुरुग्राम से दिनांक 11.06.2025 एवं 07.05.2026 के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/1020 एवं निर्वाचन-2026/725 के द्वारा क्रमशः सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से श्री अताउल्लाह खान के भाई (श्री नजर मौ.) को दिनांक 07.05.2025 को तामिल किया गया था और नोटिस दुबारा से उनके पिता (श्री कायम खान) को दिनांक 09.04.2026 को तामिल किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गुरुग्राम ने पत्र सं0- निर्वाचन-2026/725 दिनांक 07.05.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री अताउल्लाह खान ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री अताउल्लाह खान ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अताउल्लाह खान अपने निर्वाचन व्ययके लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 78-सोहना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्री अताउल्लाह खान, म0 नं0 79, गांव छारोड़ा, पोस्ट ऑफिस तावड़ू, नूहं, हरियाणा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. 76/ हरि.-वि.स./78/2024/ सी.ई.एम.एस.-1]

राकेश कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 12th August, 2026

O.N. 105.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for **78-Sohna** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No.464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election from **78-Sohna** Assembly Constituency of Haryana, was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **7th November, 2024**; and

WHEREAS, as per the report dated 11.11.2024 submitted by **DEO, Gurugram** forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh.Ataullah Khan** a contesting candidate from **78-Sohna** Assembly Constituency has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Gurugram** a Show-Cause notice No. **76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh.Ataullah Khan** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh.Ataullah Khan** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Gurugram** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Gurugram** vide his letter nos. Elec-2025/1020 and Elec-2026/725 dated 11.06.2025 and 07.05.2026 respectively has informed that the notice was duly served and received by **Sh.Ataullah Khan's Brother (Sh. Najar Mohd.)** on 07.05.2025 and notice was again served to his **Father (Sh. Kayam Khan)** on 09.04.2026; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Gurugram** in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2026/725 dated 07.05.2026 has reported that **Sh.Ataullah Khan** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh.Ataullah Khan** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh.Ataullah Khan** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh.Ataullah Khan, H.No. 79, Village Chharoda P.O. Tauru, District Nuh, Haryana**, a contesting candidate from **78-Sohna Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/78/2024/CEMS-I]

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2026

आ.अ. 106.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 464/भा0नि0आ0/हरि0-वि0स0/2024 के अनुसरण में हरियाणा राज्य के 77-गुडगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के 77-गुडगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, गुरुग्राम की रिपोर्ट दिनांक 11.11.2024, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री सोहन लाल शर्मा जो 77-गुडगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा पेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गुरुग्राम की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री सोहन लाल शर्मा को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं.76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1, दिनांक: 30 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री सोहन लाल शर्मा को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, गुरुग्राम को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गुरुग्राम से दिनांक 11.06.2025 के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/1020 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से श्री सोहन लाल शर्मा को दिनांक 07.05.2025 को तामिल किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गुरुग्राम ने पत्र सं0- निर्वाचन-2026/725 दिनांक 07.05.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री सोहन लाल शर्मा ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री सोहन लाल शर्मा ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सोहन लाल शर्मा अपने निर्वाचन व्ययके लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के 77-गुडगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी श्री सोहन लाल शर्मा, म0 नं0 604/21, नियर राजेन्द्रा हॉस्पिटल, ओम नगर, गली नं0 04, हरियाणा-122001, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं.76 / हरि.-वि.स./77/2024/ सी.ई.एम.एस.-1]

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th August, 2026

O.N. 106.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for 77-Gurgaon Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No.464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election from 77-Gurgaon Assembly Constituency of Haryana, was declared by the Returning Officer on 8th October, 2024 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 7th November, 2024; and

WHEREAS, as per the report dated 11.11.2024 submitted by DEO, Gurugram forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Sohan Lal Sharma** a contesting candidate from 77-Gurgaon Assembly Constituency has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, Gurugram a Show-Cause notice No. 76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Sohan Lal Sharma** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Sohan Lal Sharma** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Gurugram within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Gurugram vide his letter no. Elec-2025/1020 dated 11.06.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Sohan Lal Sharma** on 07.05.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, Gurugram in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2026/725 dated 07.05.2026 has reported that **Sh. Sohan Lal Sharma** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Sohan Lal Sharma** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Sohan Lal Sharma** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Sohan Lal Sharma, H.No. 604/21, Near Rajendra Hospital, Om Nagar, Gali No. 04, Haryana-122001**, a contesting candidate from **77-Gurgaon Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/77/2024/CEMS-I]

RAKESH KUMAR , Secy.